भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1463
(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 नवंबर, 2016 को दिया गया)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शिकायतों के समाधान हेतु सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना

1463. डा. वी. मैत्रेयन:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कारपोरेट कार्य में किन्हीं शिकायतों के समाधान हेतु सोशल मीडिया नेटवर्किंग के प्रभावकारी उपयोग का लाभ उठाने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उपयोग हेतु महत्वपूर्ण ट्विटर हैंडल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में कंपनी पंजीयक सहित कारपोरेट कार्य कार्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरा जाना अपेक्षित है;
(घ) यदि हां, तो रिक्तियों की अद्यतन स्थिति क्या है; और
(ङ) देश में कारपोरेट कार्य तथा कंपनी पंजीयक की जरूरतों को पूरा करने हेतु रिक्त पदों को भरने के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) और (ख): शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समाधान के लिए एमसीए21 प्रणाली के साथ-साथ सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) से (ड.): समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) रिक्त पदों को रिक्तियां होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाता है। समूह 'ख' और समूह 'ग' के गैर-तकनीकी रिक्त पदों को न भरने का निर्णय लिया गया है।

*****